रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323] दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2017/श्रावण 31, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 228
No. 323] DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2017/SRAVANA 31, 1939 [N.C.T.D. No. 228

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व–1) विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

संख्या–22/2017

सं. फा. 3(25)/वित्त (राज.–1)/2017–18/डीएस–vi/546.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :––

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवाकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) जहां अन्यथा उपबंधित न हो, ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिन्हें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में, नियम 3 के उप–नियम (4) में, ''साठ दिन'' शब्दों के स्थान पर ''नब्बे दिन''शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल नियमावली में, नियम 17 में, 22 जून, 2017 से, उप–नियम 2 में ''उक्त प्ररूप'' शब्दों के पश्चात ''या भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात्'' शब्द अतःस्थापित किए जाएंगे ।

4. मूल नियमावली में, नियम 40 में, 1 जुलाई, 2017 से उप–नियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

> ''(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 18 की उप–धारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो इस निमित्त अधिसूचना द्वारा आयुक्त द्वारा बढ़ाई जा सकेगी, इस आशय की प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी.सी. 01 में सामान्य पोर्टल पर, इलेक्ट्रॉनिक रुप से घोषणा करेगा कि वह पूर्वोक्त इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र है:
>
> परंतु आयुक्त, केन्द्रीय कर द्वारा अधिसूचित समय–सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।''।

5. मूल नियमावली में, नियम 61 में, 1 जुलाई, 2017 से उप–नियम (5) में, ''विनिर्दिष्ट करता है'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी रीति और शर्तो को विनिर्दिष्ट करता है जिनके अध्यधीन'' शब्द रखे जाएंगें ।

6. मूल नियमावली में, नियम 87 में–

(क) उप–नियम (2) में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

''परंतु सामान्य पोर्टल सृजित किया गया प्ररूप जीएसटी पीएमटी 06 में चालान पन्द्रह दिनों की अवधि के लिए विधिमान्य होगाः

परंतु यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाईन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर स्थान से ऑनलाईन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्य सेवा का प्रदाय करने वाला व्यक्ति भी बोर्ड के भुगतान प्रणाली अर्थात्, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साईज एण्ड सर्विस टैक्स के द्वारा बोर्ड द्वारा अधिसूचित तिथि से ऐसा कर सकता है ।'' और

(ख) उप–नियम (3) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

''परंतु यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाईन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर स्थान से ऑनलाईन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्य सेवा का प्रदाय करने वाला व्यक्ति बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से वि''वव्यापी इंटर–बैंक वित्तीय दूरसंचार संदाय नेटवर्क सोसायटी के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतरण के माध्यम से उप–नियम (2) के अधीन भी निक्षेप कर सकेगा ।'' ।

7. मूल नियमावली में, नियम 103 के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :–

''103. सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों की नियुक्ती करेगी ।'' ।

8. मूल नियमावली में, संलग्न प्ररुपों मैं,–

(क) ''प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 में, ''रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश'' शीर्ष के अधीन, क्रम संख्या 15 के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

''16 प्रदायकर्ताओं के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले सरकारी विभाग बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे ।''

(ख) 22 जून, 2017 से, ''प्ररूप जीएसटी आरईजी–13'' के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थातः–

'' प्ररुप जीएसटी आरईजी – 13

[नियम 17 देखिए]

संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या अनुदत्त करने के लिए आवेदन/प्ररुप

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र – जिला –

भाग क

(i)	इकाई का नाम	
(ii)	इकाई का स्थायी लेखा संख्या (अधिनियम की धारा 25 की उप–धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट ईकाइयों को लागू नहीं होता है)	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
(iv	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी लेखा संख्या (अधिनियम की धारा 25 की उप–धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट ईकाइयों को लागू नहीं होता है)	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई–मेल पता	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर (+91)	

भाग ख

1.	इकाई का किस्म नंबर (कोई एक चुनें)	संयुक्त राष्ट्र दूतावास अन्य व्यक्ति	
2.	देश		
2क	विदेष मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिष नंबर (यदि लागू हो)	पत्र संख्या	तारीख

3.	अधिसूचना के ब्यौरे		अधिसूचना संख्या	तारीख
4.	राज्य में इकाई का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल संख्या	
	परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
	षहर/कस्बा/गॉव		जिला	
	ब्लॉक/तालुका			
	अक्षांष ।		देषाांतर	
	राज्य		पिन कोड	
	संपर्क के लिए जानकारी			
	ईमेल पता		टेलीफोन नंबर	
	फैक्स नंबर		मोबाइल नंबर	
7.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे, यदि लागू हों			
	विषिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	नाम			
	फोटो			
	पिता का नाम			
	जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	पुरुष,महिला,अन्य
	मोबाइल नंबर			
	टेलीफोन नंबर			
	पदनाम/प्रास्थिति			
	स्थायी लेखा संख्या (अधिनियम की धारा 25 की उप–धारा (9) के खंड (क) में विनिदिष्ट ईकाइयों को लागू नहीं होता है)		आधार संख्या (अधिनियम की धारा 25 की उप–धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट ईकाइयों को लागू नहीं होता है)	
	क्या आप भारत के नागरिक है ?		पोसपोर्ट संख्या नंबर (विदेषियों के मामले में)	
	घर का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल संख्या	
	परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
	नगर/षहर/गांव		जिला	
	ब्लॉक/तालुका			
	राज्य		पिनकोड	
8.	बैंक खाता ब्यौरे (यदि आवष्यक हो तो और जोड़ें)			
	खाता संख्या		खाते का प्रकार	
	आईएफएससी		बैंक का नाम	
	शाखा का पता			
9.	अपलोड किए गए दस्तावेज प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत इकाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा भी है, को अपलोड किया जाएगा। समुचित अधिकारी, जिसने आवेदक से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि का भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा भी है, अपलोड किया जाएगा और इसे संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि को सृजित और आबंटित विषिष्ट पहचान संख्या के साथ लिंक किया जाएगा।			

11.	सत्यापन मैं सत्यनिष्ठा से यहा अभिपुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विष्वास के अनुसार सत्य और सही है तथ इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

स्थानः (हस्ताक्षर)
तारीखः प्राधिकृत व्यक्ति का नामः

या

स्थानः (हस्ताक्षर)
समुचित अधिकारी का नामः
तारीखः पदनामः
अधिकारिताः

सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य के आरईजी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेष ।

- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विषिष्टि पहचान संख्या अभिप्राप्त करने के अपेक्षा है, इलैक्ट्रिोनिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा ।
- आवेदन सामान्य प्रोर्टल के माध्यम से फाईल किया जाएगा या समुचित अधिकारी द्वारा स्वःप्रेरणा से आरईजी अनुदत्त किया जा सकता है
- सामान्य पोर्टल पर फाईल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रानिक रूप से या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से हस्ताक्षर करना अपेक्षित है
- संबंधित इकाई द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति से ब्यौरों को आवेदन में ''प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के ब्यौरे'' के सामने भरा जाना चाहिए ।
- स्थाई लेखा संख्यांक/आधार अधिनियम की धारा (25) की उपधारा (9) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट इकाइयों के लिए लागू नहीं होगा । ''

(ग) 1 जुलाई, 2017 से, ''प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–01 में, क्रम संख्या 7 में,–

(i) मद (क) में, ''और 140(6)'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, ''140(6) और 140(7)'' अंक, कोष्ठक एवं शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; और

(ii) मद (ख) में, –

(क) ''धारा 140(5)''शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात, ''और धारा 140(7)''शब्द, अंक एवं कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) स्तम्भ शीर्ष 1 के स्थान पर, ''प्रदायकर्ता या इनपुट सेवा वितरक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक'' स्तम्भ शीर्ष रखे जाएंगे; और

(ग) स्तम्भ 8 के शीर्ष में, ''पात्र शुल्क और कर'' शब्दों के पश्चात, ''(केन्द्रीय कर)'' कोष्ठक एवं शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेष से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप–सचिव– VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2017

No. 22/2017-State Tax

No. F. 3(25)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/546.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2017.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the principal Rules), in rule 3, in sub-rule (4), for the words "sixty days", the words "ninety days" shall be substituted.

3. In the principal Rules, in rule 17, with effect from the 22nd June, 2017, in sub-rule (2), after the words, "said form", the words "or after receiving a recommendation from the Ministry of External Affairs, Government of India" shall be inserted.

4. In the principal Rules, in rule 40, with effect from the 1stday of July, 2017, in sub-rule (1), for clause (b), the following shall be substituted, namely:-

"(b) the registered person shall within a period of thirty days from the date of becoming eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18, or within such further period as may be extended by the Commissioner by a notification in this behalf, shall make a declaration, electronically, on the common portal in **FORM GST ITC-01** to the effect that he is eligible to avail the input tax credit as aforesaid:

Provided that any extension of the time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

5. In the principal Rules, in rule 61, with effect from the 1stday of July, 2017, in sub-rule (5), for the words "specify that", the words "specify the manner and conditions subject to which the" shall be substituted.

6. In the principal Rules, in rule 87,—

(a) in sub-rule (2), the following shall be inserted, namely:—

"Provided that the challan in FORM GST PMT-06 generated at the common portal shall be valid for a period of fifteen days.

Provided further that a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) may also do so through the Board's payment system namely, Electronic Accounting System in Excise and Service Tax from the date to be notified by the Board."; and

(b) in sub-rule (3), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) may also make the deposit under sub-rule (2) through international money transfer through Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication payment network, from the date to be notified by the Board.".

7. In the principal Rules, for rule 103, with effect from the 1st day of July, 2017, the following rule shall be substituted, namely:—

"103. The Government shall appoint officers not below the rank of Joint Commissioner as member of the Authority for Advance Ruling.".

8. In the principal Rules, in the forms appended thereto,—

(a) in "FORM GST REG-01" under the heading 'Instructions for submission of Application for Registration', after Serial No. 15, the following Serial No. shall be inserted, namely:—

"16. Government departments applying for registration as suppliers may not furnish Bank Account details.";

(b) with effect from the 22nd June, 2017 for "FORM GST REG-13", the following Form shall be substituted, namely:—

"Form GST REG-13

[See Rule 17]

Application/Form for grant of Unique Identity Number (UIN) to UN Bodies/ Embassies /others

State /UT – District –

PART A

(i)	Name of the Entity	
(ii)	Permanent Account Number (PAN) of entity (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)	
(iii)	Name of the Authorised Signatory	
(iv)	PAN of Authorised Signatory (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)	
(v)	Email Address of the Authorised Signatory	
(vi)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	

PART B

1.	Type of Entity (Choose one)	UN Body ◯	Embassy ◯	Other Person ◯		
2.	Country					
2A.	Ministry of External Affairs, Government of India' Recommendation (if applicable)		Letter No.		Date	
3.	Notification details		Notification No.		Date	
4.	Address of the entity in State					
	Building No./Flat No.		Floor No.			
	Name of the Premises/Building		Road/Street			
	City/Town/Village		District			
	Block/Taluka					
	Latitude		Longitude			
	State		PIN Code			
	Contact Information					
	Email Address		Telephone number			
	Fax Number		Mobile Number			
7.	Details of Authorized Signatory, if applicable					
	Particulars	First Name	Middle Name	Last name		
	Name					
	Photo					
	Name of Father					
	Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>		
	Mobile Number		Email address			
	Telephone No.					
	Designation /Status		Director Identification Number (if any)			
	PAN (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)		Aadhaar Number (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)			
	Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)			
	Residential Address					
	Building No/Flat No		Floor No			

	Name of the Premises/Building		Road/Street	
	Town/City/Village		District	
	Block/Taluka			
	State		PIN Code	
8	Bank Account Details (add more if required)			
	Account Number		Type of Account	
	IFSC		Bank Name	
	Branch Address			
9.	Documents Uploaded *The authorized person who is in possession of the documentary evidence shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney, authorizing the applicant to represent the entity.* Or *The proper officer who has collected the documentary evidence from the applicant shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney, authorizing the applicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and link it along with the UIN generated and allotted to respective UN Body/ Embassy etc.*			
11.	Verification *I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.*			

Place: (Signature)

Date: Name of Authorized Person:

Or

(Signature)

Place: Name of Proper Officer:

Date: Designation:

Jurisdiction:

Instructions for submission of application for registration for UN Bodies/ Embassies/others notified by the Government.

- Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically.
- Application shall be filed through Common Portal or registration can be granted suo-moto by proper officer.
- The application filed on the Common Portal is required to be signed electronically or through any other mode as specified by the Government.
- The details of the person authorized by the concerned entity to sign the refund application or otherwise, should be filled up against the "Authorised Signatory details" in the application.
- PAN / Aadhaar will not be applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act. "; and

(c) with effect from the 1st day of July, 2017, in FORM GST TRAN-1 in Serial No. 7,-

(i) in item (a), for the word, figures and brackets "and 140 (6)", the figures, brackets and word ", 140 (6) and 140 (7) shall be substituted; and

(ii) in item (b), -

(a) after the word, figures and brackets, "section 140 (5)", the words, figures and brackets "and section 140(7)" shall be inserted;

(b) for column heading 1, the column heading "registration number of the supplier or input service distributor" shall be substituted; and

(c) in the heading of column 8, after the words "Eligible duties and taxes", the brackets and words "(central taxes)" shall be inserted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.08.26 10:41:23 +05'30'